कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 6081/2021 प्रियंका सोलंकी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर मे पारित निर्णय दिनांक 07.04.2021 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थिया ने अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 विषय–गणित में विभाग द्वारा भरतपुर मण्डल आवंटित किया गया एवं याचिकार्थिया वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जड़ावता, जिला–सवाईमाधोपुर में वरिष्ठ अध्यापक (गणित) के पद पर कार्यरत है। याचिकार्थिया के कथनानुसार उसका चयन GENF. WD वर्ग से हुआ है तथा उसके एक 5 वर्षीय पुत्र है जिसकी देखभाल करने में दूरस्थ पदस्थापित होने कारण कई परेशानियां हो रही है। अतः याचिकार्थिया ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर सवाईमाधोपुर जिले (भरतपुर मण्डल) से गृह जिले कोटा (कोटा मण्डल) में पदस्थापन करने की मांग की है।

याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.04.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक का पद मण्डल स्तर का है, जिसका नियुक्ति अधिकारी संबंधित मण्डल का संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) (पूर्व में उप निदेशक) है। अतः संयुक्त निदेशक (समस्त सम्भाग) रोस्टर के आधार पर वर्गवार आरक्षण के अनुसार अर्थना तैयार कर विभाग को प्रेषित करता है। विभाग सभी मण्डलों से वर्गवार प्राप्त अर्थना को संकलित कर वर्गवार योग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु अर्थना आयोग को प्रेषित करता है। आयोग परीक्षा का आयोजन कर अर्थना में प्रदर्शित वर्गवार अभ्यर्थियों का चयन कर वर्गवार एवं चयन वर्गवार अभिस्तावना विभाग को नियुक्ति हेतु प्रेषित करता है। आयोग से वर्गवार एवं चयन वर्गवार अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्राप्त अभिस्तावना के अनुसार विभाग द्वारा मण्डल आवंटन की कार्यवाही आयोग को प्रेषित मण्डलवार वर्गवार अर्थना की सीमा तक की जाती है। जिस मण्डल में वर्गवार जितने पद विज्ञापित किये जाते है, उतने ही अभ्यर्थी वर्ग एवं चयन वर्गवार नियुक्ति हेतु आवंटित किये जाते है। इस प्रकार मण्डल आवंटन के समय अथवा वर्तमान में किसी मण्डल या जिले में रिक्त पद के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा पदस्थापन की मांग औचित्यपूर्ण नहीं है।

वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 विषय–गणित में विज्ञापित 798 पदों के विरूद्ध आयोग द्वारा चयनित एवं अभिस्तावित 798 अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा मण्डल आवंटन किया गया। विभाग द्वारा याचिकार्थिया को उसकी वरियतानुसार तथा उसके वर्ग OBCF. WD एवं चयन वर्ग GENF. WD के आधार पर भरतपुर मण्डल आवंटित किया गया। विभाग द्वारा किए गए मण्डल आवंटन में कोटा जिले में अंतिम आवंटित अभ्यर्थी का वरीयता क्रमांक 67 है, जबकि याचिकार्थिया का वरीयता क्रमांक 704 है। अतः इस प्रकार ये स्पष्ट है कि याचिकार्थिया के समान वर्ग OBCF. WD व चयन वर्ग GENF. WD में याचिकार्थिया से कनिष्ठ किसी भी अभ्यर्थी को कोटा मण्डल आवंटित नहीं किया गया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार मे यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में इच्छित स्थान पर पदस्थापन का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। याचिकार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अन्तर मण्डल स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं न्यायसंगत नहीं है। उक्तानुसार इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जोध/13137/2021
दिनांकः– 24/01/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. सयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, भरतपुर
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
5. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा
6. याचिकार्थिया प्रियंका सोलंकी, व.अ. (गणित), राउमावि, जड़ावता, जिला–सवाईमाधोपुर (रजिस्टर्ड)
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)